न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

तारीख रज्जू– 06/07/17

प्रार्थना पत्र 14(4) – 35/17

1–राजस्थान सरकार जरिये उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक (कोर) बाघ परियोजना रणथम्भोर सवाई माधोपुर जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी बाघ परियोजना सवाई माधोपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1– कयामुद्दीन पुत्र अमरदीन जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला नीम चौकी शहर स0मा0।
2– जलालुद्दीन पुत्र अमरदीन जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला नीम चौकी शहर स0मा0।
3– अब्दुल सलाम पुत्र अमरदीन जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला नीम चौकी शहर स0मा0।
4– कदीर पुत्र अमरदीन जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला नीम चौकी शहर स0मा0।
5– साबिर खां पुत्र अमरदीन जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला नीम चौकी शहर स0मा0।
6– जरीना बेगम पुत्री अमरदीन जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला नीम चौकी शहर स0मा0।
7–इरफान पुत्र अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला नीम चौकी शहर स0मा0।
8–शबाना बेगम पुत्री अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला नीमचौकी शहर स0मा0।
9– रेशमा पुत्री अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला नीम चौकी शहर स0मा0।
10– जुबेदा पुत्री अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला नीम चौकी शहर स0मा0।
11– भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर अलानूर पुत्र

अप्रार्थीगण

निर्णय

दि. 28.8.17

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अर्न्तगत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के पिता अमरदीन निवासी मोहल्ला नीम चौकी शहर सवाई माधोपुर को दिनांक 07/01/1973 को ग्राम आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर में स्थित साविक आराजी ख0नं0 928/1 रकबा 2 बीधा 3 बिस्बा व ख0नं0 928/2 रकबा 2 बीधा 11 बिस्बा भूमि के किये गये अवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए भूमि आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/03/62 की तलबी न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/03/62 प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस में निवेदन किया है कि राज्य सरकार ने अपने राजपत्र दिनांक 22/03/62 के द्वारा ग्राम सवाई माधोपुर के राजपत्र में वर्णित खसरा नम्बरान का रकबा वन विभाग के नाम दर्ज करने का आ

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रदान कर समस्त राजपत्र में दर्ज भूमि का कब्जा वन विभाग के सुपुर्द कर दिया, जिसकी वन विभाग ने हदबंदी उसी समय कर दी थी। ग्राम सवाई माधोपुर के खसरा नं0 928 का सम्पूर्ण रकबा 98 बीधा 10 बिस्बा राजपत्र में प्रकाशित कर राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया तथा भूमि का कब्जा वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया था। दिनांक 07/01/73 को भू–आवंटन सलाहकार समिति तहसील सवाई माधोपुर ने अप्रार्थीगण के पिता अमरदीन को आराजी खं0नं0 928/1 रकबा 2 बीधा 3 बिस्बा व खं0नं0 928/2 रकबा 2 बीधा 11 बिस्बा कुल 4 बीधा 14 बिस्बा गलत तरीके से नियमन कर दिया, जबकि यह भूमि वन विभाग की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। राजस्व रिकोर्ड में भी उक्त भूमि की किस्म गै0मु0पहाड अंकित है तथा गै0मु0पहाड़ का आवंटन व नियमन नहीं किया जा सकता है, साथ ही वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 लगायत 10 के पिता के ... में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 07/01/1973 निरस्त फरमान हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी 1 लगायत 10 के पिता एक भूमि हीन व्यक्ति थें तथा भूमिहीन होने के कारण उक्त वाद आराजीयात आवंटी को आवंटन की गई थी। उक्त वाद आराजीयात के संबंध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर के समक्ष 136 को दावा विचाराधीन है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि ग्राम सवाई माधोपुर के खसरा नम्बर 928 का सम्पूर्ण रकबा राजपत्र में प्रकाशित कर राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया तथा भूमि वन विभाग को सुपुर्द कर दी गई थी। राजस्व रिकोर्ड के अनुसार उक्त वाद आराजीयात की किस्म गै0मु0पहाड़ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार उक्त वाद आराजीयात नियमन से पूर्व ही वन विभाग के नाम दर्ज हो चुका था। अतः भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन/नियमन प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 10 के पिता को दिनांक 07/01/73 को ग्राम आलनपुर में स्थित आराजी खं0नं0 928/1 रकबा 2 बीधा 3 बिस्बा तथा 928/2 रकबा 2 बीधा 11 बिस्बा भूमि के किये गये अवंटन आदेश निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28-8-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर